रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (*ii*)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 1977/वैशाख 30, 1899

No 212] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 1977/VAISAKHA 30, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th May 1977

S.O 361(E)/15/IDRA/77—Whereas the industrial undertaking known as Messrs. Jaipur Metals and Electricals Limited, Jaipur, is engaged in a scheduled industry, namely, Electrical Equipment Industry,

And, whereas, the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to the conditions prevailing, there is no justification,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of :—

Chairman

1 Shri K N Ramaswami, Deputy Director General, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Members

2 Shri K C Hukmani, Senior Manager (Technical), Industrial Finance Corporation of India, New Delhi

3 Shri Viney Kumar, Joint Director, Bureau of Public Enterprises, New Delhi.

2. The above body shall submit its report within a period of five weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. F. 2/29/76-CUC]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 मई, 1977

का० आ० 361 (अ)/15 आई डी आर ए/77.—मैसर्स जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग अर्थात् बिजली के सामान के उद्योग मे लगा है,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम मे विनिर्मित की जाने वाली वस्तुओ की बाबत उत्पादन की मात्रा मे पर्याप्त गिरावट आ गई है, जिसके लिए, विद्यमान स्थिति को ध्यान मे रखते हुए, कोई औचित्य नही है,

अत., अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, मामले की परिस्थितियो की पूर्ण जाच पडताल करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियो का एक निकाय नियुक्त करती है जिसमे निम्नलिखित होगे .—

अध्यक्ष

1. श्री के० एन रामास्वामी उपमहानिदेशक, तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली ।

सदस्य

2. श्री के० सी० हुकमानी सीनियर मैनेजर (तकनीकी) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली।

3 श्री विनय कुमार, सयुक्त निदेशक, लोक उद्यम ब्यूरो, नई दिल्ली ।

2 उपर्युक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से पाच सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[स० फा० 2 29 76-सी यू सी]

ए० के० घोष, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1977